आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–04 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो0+पंचायत– चपरी, प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक–28.03.2024 को हुई थी। उस सुनवाई में आयोग ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को निदेश दिया था कि वो शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर तत्काल शिकायकर्ताओं की समस्याओं का निदान करें। शिकायतकर्ता ने कहा कि वो वर्ष 2022 से ही लगातार प्रयासरत हैं। बावजूद इसके उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। आयोग ने पिछली सुनवाई में आदेश की प्रति उपायुक्त, गोड्डा को भी भेजने का निदेश दिया था ताकि उपायुक्त, गोड्डा इस बात को सुनिश्चित करायें कि शिकायतकर्ता के शिकायतों का ससमय निदान हो पाए। आयोग के पिछले आदेश के बावजूद अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई किये जाने का प्रमाण आयोग के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। आज की सुनवाई में शिकायकर्ता ने पुनः आयोग से आग्रह किया कि दो वर्ष से अधिक हो जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में आयोग ने यह तय किया है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष गोड्डा पहुँचकर दिनांक–19.04.2024 को मामले की सुनवाई करेंगे। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वे दिनांक–19.04.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे Circuit House, गोड्डा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें और इस वाद से संबंधित सभी दस्तावेज साथ लायें। शिकायतकर्ता को भी इस सुनवाई की सूचना दूरभाष पर दे दी जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–19.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उपायुक्त, गोड्डा को भी भेज दी जाय। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx22	